रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227526
CG-DL-E-11062021-227526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 2116] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का. आ. 2276(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) के अनुसरण में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3338 (अ) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के रूप में उल्लिखित किया गया है।) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात् :

1	2	3
1.	डॉ. राजीव कुमार गर्ग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ	अध्यक्ष;
2.	श्री पारसनाथ, हाउस न. 2/386 वीनामरखंड, गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य;
3.	सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

3. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी ।) की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा दो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों अर्थात राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के रूप में उल्लिखित किया गया है।) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:

एसईएसी- । उत्तर प्रदेश

1	2	3
1.	श्री राजीव कुमार, रघुसत्यम बी-2/4 विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. अजय मिश्रा, जियोलॉजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007	सदस्य ;
3.	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, एच-150, साउथ सिटी, पीजीआई रोड, लखनऊ-226025	सदस्य ;
4.	डॉ. बृज बिहारी अवस्थी फ्लैट न. 503, टावर-एम, रोहतास प्लूमेरिया अपार्टमेंट, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010	सदस्य ;
5.	श्री उमेशचंद शर्मा, 88 ए, मानस नगर, शाहगंज, आगरा-282010	सदस्य ;
6.	डॉ. रत्नाकर बीरबल साहनी इंस्टीच्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज, 53, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ-226007	सदस्य ;
7.	निदेशक, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य सचिव ;

एसईएसी -2, उत्तर प्रदेश

1	2	3
1.	डॉ. हरिकेश बहादुर सिंह, 13/21 विकास नगर, पोस्ट ऑफिस विकास नगर, लखनऊ- 226022	अध्यक्ष ;
2.	डॉ. अमृत लाल हलधर, 7/554 ए विकास नगर (सीआईएमएपी कॉलोनी के सामने), नार्दन गेट, लखनऊ 226022	सदस्य ;

3.	डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सिंह, फ्लैट न. बी-0701 गोदरेज सम्मिट, सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे, हरियाणा-122006	सदस्य ;
4.	श्री तंज़र उल्लाह खान बी- 904, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, सेक्टर-52, नोएडा, उत्तर प्रदेश	सदस्य ;
5.	प्रो. जसवंत सिंह, पर्यावरण विज्ञान विभाग, विभागाध्क्ष, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या, 224001	सदस्य ;
6.	डॉ. शिवओम सिंह, 8, उर्मिला विहार, कंपू लश्कर, ग्वालियर, 474001 मध्य प्रदेश	सदस्य ;
7.	निदेशक पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य सचिव ;

6. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

7. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए :

(क) प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगें, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा ।

11. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और एसईएसी-1 और एसईएसी-2, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013-43/2007.आईए-II(I) पार्ट-I]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021.

S.O. 2276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3338(E), dated the 16th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) (hereinafter referred to as the Authority, Uttar Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Rajiv Kumar Garg 17, Rana Pratap Marg, Lucknow	Chairman;
2.	Shri Parasnath House No. 2/386 Vinamrakhand Gomti Nagar, Lucknow	Member;
3.	Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Uttar Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee -1(SEAC-1) constituted under paragraph 5 for the State of Uttar Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Uttar Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby constitutes two State Level Expert Appraisal Committees, that is, the State Level Expert Appraisal Committee-1 and State Level Expert Appraisal Committee-2 (hereinafter referred to as the SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

SEAC-1, Uttar Pradesh:

(1)	(2)	(3)
1.	Shri Rajiv Kumar Raghusatyam B-2/4 Vijyantkhand Gomti Magar Lucknow-226010	Chairman;
2.	Dr. Ajai Mishra Department of Geology, Lucknow University Lucknow-226007	Member;
3.	Mr Om Prakash Srivastava H-150, Southcity PGI Road, Lucknow- 226025	Member;

4.	Dr. Brij Bihari Awasthi Flat No. 503, Tower-M, Rohtash Plumeriya Apartment, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010	Member;
5.	Shri Umesh Chand Sharma 88A, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010	Member;
6.	Dr. Ratankar Birbal Sahni Institute of Palaeosciences, 53, University Road, Lucknow-226007	Member;
7.	Director, Environment Department. Govt. of UP	Member Secretary.

SEAC-2, Uttar Pradesh:

(1)	(2)	(3)
1.	Dr Harikesh Bahadur Singh 13/21, Vikas Nagar, PO Vikas Nagar, Lucknow-226022	Chairman;
2.	Dr. Amrit Lal Haldar 7/554A, Vikas Nagar (Opp CIMAP Colony), Northern Gate, Lucknow-226022	Member;
3.	Dr. Dineshwar Prasad Singh Flat No. B0701, Godrej Summit, Sector-104, Dwaraka Expressway, Haryana-122006	Member;
4.	Shri Tanzar Ullah Khan B-904 Antrarish Apartment, Sec-52, Noida, U.P.	Member;
5.	Prof. Jaswant Singh Head of Environment Science Department, Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Ayodhya- 224001	Member;
6.	Dr. Shiv Om Singh, 8, Urmilla Vihar, Kampoo, Lashkar, Gwaliar-474001 Madhya Pradesh	Member;
7.	Director, Environment Department. Govt. of UP	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. Government of Uttar Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Uttar Pradesh and SEAC-1 and SEAC-2, Uttar Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Uttar Pradesh.

[F. No. J.11013-43/2007-IA.II(I) Pt.I]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.11 21:57:23 +05'30'